

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)



आदेश पत्रक

58

वाद सं०- M-26 / 2019

धारा-107 द०प्र०सं०

कारखाने सरकार बनाम सावना मल्ली वगैरह

| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्यवाही एवं दिवसीय तारीख सहित |
|----------------------------|--|---|
| | <p>अभिलेख सं०-एम-26 / 2019 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>सौ नारायण</u> के अप्राथमिकी सं०- <u>09/19</u> दिनांक <u>27-03-19</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान अशांति फैलाने की संभावना है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति शुद्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुद्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करे कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उरासे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>03/04/19</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> | |

| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित |
|----------------------------|---|---|
| 12-07-19 | विपनी अनुपस्थित। कार्यपालक दण्डा अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 29-07-19 को रखें। | |
| 29-07-19 | अभिलेख उपस्थापित। विपनी अनुपस्थित दिनांक 16-08-19 को रखें। 29/8/19 | |
| 16-08-19 | विपनी अनुपस्थित। कार्यपालक दण्डा अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 30-08-19 को रखें। | |
| 30-08-19 | अभिलेख उपस्थापित। विपनी अनुपस्थित। लोक सभा इलाक 2019 शान्तिपूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है। 30/08/19 | |